भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5490

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

धुबरी में सड़कों की सुरक्षा और रखरखाव

5490. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धुबरी में यातायात सिग्नल, संकेतक और दुर्घटना संभावित क्षेत्र पहचान संकेत बोर्ड लगाने सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) विशेषकर मानसून के दौरान और उसके बाद भारी बारिश के कारण सड़कों की स्थिति अक्सर खराब हो जाती है, इसे देखते हुए सरकार किस प्रकार धुबरी में सड़कों का समय पर रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित कर रही है; और

(ग) धुबरी में स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, जैसे बस टर्मिनलों और सुरक्षित यात्री प्रतीक्षा क्षेत्रों का निर्माण पर कोई ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) असम राज्य के धुबरी में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

i) दृश्यता बढ़ाने और सुरक्षित ड्राइविंग की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए गति सीमा, तेज मोड़, जंक्शन आदि के लिए परावर्तक और मानकीकृत सड़क सुरक्षा संकेतों की स्थापना।

ii) दुर्घटना संभावित क्षेत्र/ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार।

iii) रात के समय दृश्यता बढ़ाने और चालकों (ड्राइवरों) के लिए सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए परावर्तक स्टड और डिलिनेटर के साथ केंद्र और किनारे की रेखाओं को चिह्नित करना।

iv) सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले स्थानों पर रंबल स्ट्रिप्स, ट्रांसवर्स बार मार्किंग, कैट-आई रिफ्लेक्टर और गार्डरेल/क्रैश बैरियर लगाना।

v) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से सड़क सुरक्षा अभियान और यातायात नियमों का और अधिक सख्त प्रवर्तन।

vi) चेतावनी बोर्ड और सावधानी संकेत लगाना।

इसके अतिरिक्त, धुबरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिजाइन चरण से कार्यान्वयन चरण तक सभी सुरक्षा मानदंडों को शामिल किया गया है। आईआरसी: 119-2015 (यातायात सुरक्षा अवरोधों के लिए दिशानिर्देश) और आईआरसी: 67-2012 (सड़क संकेतों के लिए अभ्यास संहिता) के अनुसार उचित संकेतकों का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, देश में सड़क सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों को अनुबंध पर संलग्न किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए मानक और बेंचमार्क भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों और केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किए गए हैं। ये मानक प्रयोक्ताओं के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए फुटपाथ की गुणवत्ता, सड़क चिह्नों, संकेतकों, जल निकासी प्रणालियों और सुरक्षा सुविधाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। प्रौद्योगिकी, जलवायु परिस्थितियों, यातायात वृद्धि और हितधारकों की प्रतिक्रिया में प्रगति के आधार पर मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) असम राज्य के धुबरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सौंपी गई सभी 4-लेन वाली परियोजनाओं में बस बे और ट्रक ले-बाय का प्रावधान है। विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	परियोजना	यात्री आश्रय के साथ बस बे (धुबरी में)	ट्रक ले बाय (धुबरी में)
i.	एनएच-127बी पर श्रीरामपुर-धुबरी पैकेज-I को 4 लेन का बनाना	3	1
ii.	एनएच-127बी पर श्रीरामपुर-धुबरी पैकेज -II को 4 लेन का बनाना	4	0
iii.	एनएच-17 पर बिलासीपुरा-गुवाहाटी पैकेज -I	1	0

अनुबंध

'धुबरी में सड़कों की सुरक्षा और रखरखाव' के संबंध में मोहम्मद रकीबुल हुसैन द्वारा दिनांक 03.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5490 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण:-

(1) शिक्षा:

i. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के ओर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार व्यवस्था योजना लागू की है।
ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
iii. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना।

(2) इंजीनियरिंग:

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राजमार्गों (एनएच) का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित करने और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए नामित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।

vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान:-

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में 31.10.2022 और 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं के सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य।

xii. एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है। यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। जबकि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने विशेष रूप से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वाहनों में ओवरलोडिंग से संबंधित मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का सख्ती से क्रियान्वयन करने का अनुरोध किया है।

ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर

उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. 10 जून, 2024 को सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. ऐसे नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए नियम प्रकाशित किए गए हैं, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा किए बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है।

ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित (कैशलेस) उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

*****